न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला–सलूम्बर
बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस
प्रकरण संख्या 04/2017 प्रा.प.

उनवान

1. मृतक वाला पिता पदमा भोई के बजाय
   1/1 श्री भगवानलाल पुत्र स्व. वाला भोई उम्र बालिग निवासी भोईवाडा, तहसील सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)।
   1/2 श्रीमती भगवती बाई पुत्री स्व. वाला भोई उम्र बालिग एवं पति रमेश भोई निवासी उदयपुर (राज.)।
   1/3 श्रीमती रतन बाई पुत्री स्व. वाला भोई एवं पति प्रताप भोई निवासी कमला आम्बा तहसील आसपुर जिला डुँगरपुर (राज.)।

– प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. श्री देवीसिंह पिता माधोसिंह राजपूत चौहान निवासी करगेटा तहसील सलूम्बर हाल जिला–सलूम्बर (राज.)।

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 39 नियम 1 व 2 जा.दी.

–::निर्णय::–

दिनांकः– 05/01/2026

उपस्थितिः श्री गोपाल चौबिसा अधिवक्ता–प्रार्थीगण
श्री गबीलाल मेहता अधिवक्ता– विपक्षी

प्राथीगण ने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 39 नियम 1 व 2 सी पी सी का प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक, संयुक्त एवं अविभाजित कृषि भूमि है, जिसका आज तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। खाता नं. 33 व 194 की कुल 6.50 हेक्टेयर भूमि में प्रार्थी का वैध हिस्सा 1/10 है तथा वह लगभग 50 वर्षो से शांतिपूर्वक एवं निरन्तर काश्त व कब्जे में है। प्रतिवादी द्वारा दिनांक 23–11–2016 को किया गया विक्रय अविभाजित भूमि का है, जो प्रार्थी के हिस्से की सीमा तक अवैध है, क्योंकि विभाजन से पूर्व अजनबी खरीददार को सह–खातेदार के कब्जे में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। बलपूर्वक कब्जा व फसल क्षति की वास्तविक आशंका से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों तत्व प्रार्थी के पक्ष में हैं और अस्थाई निषेधाज्ञा आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलवी हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गेबीलाल मेहता हाजिर आये। विपक्षी को जवाब पेश करने हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नही करने से आदेशिका दिनांक 28–09–2022 को विपक्षी के जवाब का अवसर बन्द किया गया।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर जिला – सलूम्बर

बजरियेः– श्री जगदीश चन्द बामनिया आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या–04 / 2017

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट.

उनवान– श्री वाला बनाम श्री देवीसिंह

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए विपक्षी को मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी ने बहस मे कथन किया कि वादग्रस्त भूमि मे मेरा हिस्सा है। मेने भूमि सुरेशचन्द्र पिता सवाजी से जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र के खरिदी है, वादग्रस्त भूमि मे विपक्षी का हिस्सा है। सहखातेदारी भूमि मे किसी एक खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा उचित नही। अतः उपभयपक्ष को मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जावे।

बहस मनन की गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों एवं प्रस्तुत तर्कों के अवलोकन से यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक, संयुक्त एवं अविभाजित है तथा वादी का उस पर शांतिपूर्ण काश्त व कब्जा होना विवादित अवस्था में है। यदि वर्तमान स्थिति में हस्तक्षेप किया गया तो वादी को अपूरणीय क्षति होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

अतः न्यायहित में तथा विवादित स्थिति को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से, यह आदेश पारित किया जाता है कि मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक उभयपक्ष वादग्रस्त भूमि के संबंध में मौके की वर्तमान यथास्थिति बनाए रखेंगे। कोई भी पक्ष भूमि में प्रवेश करने, कब्जा बदलने, फसल नष्ट करने, निर्माण करने, हस्तांतरण करने अथवा किसी भी प्रकार से वर्तमान स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय दिनांक 05/01/2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला–सलूम्बर
जिला सलूम्बर